



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 56-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 29, 2019 (CHAITRA 8, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 मार्च, 2019

संख्या 37/आ०-1/पं०अ०1/1914/धा० 18, 34 तथा 59/2019.- पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 18, 34 तथा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 98/आ०-1/पं०अ०1/1914/धा० 9/2018, दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 के प्रतिनिर्देश से, मैं, अमित कुमार अग्रवाल, आबकारी आयुक्त, हरियाणा, इसके द्वारा, अप्रैल, 2019 के प्रथम दिन से पंजाब मदिरा अनुज्ञापत्र तथा पारपत्र नियम, 1932, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:-

- ये नियम पंजाब मदिरा अनुज्ञापत्र तथा पारपत्र (हरियाणा संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
- पंजाब मदिरा अनुज्ञापत्र तथा पारपत्र नियम, 1932 (जिन्हें इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (क) में, विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
परन्तु यह और कि अनुज्ञापत्रिधारी निम्नलिखित दरों पर मदिरा के क्रय के लिए परमिट फीस का भुगतान करेगा:-

क्रम संख्या	मदिरा की किस्म	दरें
1	2	3
1.	देसी मदिरा (50 डिग्री प्रूफ)	₹5/-प्रति प्रूफ लीटर
2.	देसी मदिरा (65 डिग्री प्रूफ)	₹5/-प्रति प्रूफ लीटर
3.	भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट	
3.1	₹1000 प्रति पेटी तक एक्स-डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्रांड	₹10/-प्रति प्रूफ लीटर
3.2	₹1001 से ₹1500 प्रति पेटी तक एक्स-डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्रांड	₹10/-प्रति प्रूफ लीटर
3.3	₹1501 से ₹2500 प्रति पेटी तक एक्स-डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्रांड	₹10/-प्रति प्रूफ लीटर
3.4	₹2501 से ₹3500 प्रति पेटी तक एक्स-डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्रांड	₹10/-प्रति प्रूफ लीटर
3.5	₹3501 से ₹5000 प्रति पेटी तक एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्रांड	₹10/-प्रति प्रूफ लीटर
3.6	₹5001 से ₹7000 प्रति पेटी तक एक्स-डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्रांड	₹10/-प्रति प्रूफ लीटर
3.7	₹7000 से उपर प्रति पेटी एक्स-डिस्टिलरी इश्यू प्राईस सहित ब्रांड	₹10/-प्रति प्रूफ लीटर

क्रम संख्या	मदिरा की किस्म	दरें
1	2	3
4.	बीयर	
	(i) 5.5 प्रतिशत तक मादक मात्रा वाली बीयर	₹10/-प्रति बल्क लीटर
	(ii) 5.5 प्रतिशत से अधिक मादक मात्रा वाली बीयर	₹10/-प्रति बल्क लीटर
	(iii) डिब्बाबन्द बीयर:	
	(क) नरम	₹10/-प्रति बल्क लीटर
	(ख) शक्तिशाली	₹10/-प्रति बल्क लीटर
5.	आटोमोबाईल ईंधन में प्रयोग के लिए एथॉनल	शून्य
6.	ड्राट बीयर	₹10/-प्रति बल्क लीटर
7.	साइडर	₹5/-प्रति बल्क लीटर
8.	वाईन	₹5/-प्रति बल्क लीटर
9.	पीने के लिए तैयार पेय (आरटीबी)	₹10/-प्रति बल्क लीटर
10.	देसी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा के लिए पोटेबल रेक्टिफाईड स्पिरिट तथा एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल	शून्य
11.	आटोमोबाईल ईंधन में उपयोग हेतु के सिवाय विकृत स्पिरिट/एथॉनल	शून्य
12.	औद्योगिक उपयोग के लिए रेक्टिफाईड स्पिरिट तथा एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल	शून्य"।
3.	उक्त नियमों में, नियम 22-क में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-	

“(1) 750 मिलीलीटर की क्षमता की भारतीय आयातित मदिरा की बारह बोतलों से अधिक के क्रय, परिवहन तथा कब्जे के लिए प्ररूप एल-50 में पारपत्र प्रति वर्ष के लिए ₹1500/- तथा आजीवन के लिए ₹10,000/- की अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान पर प्रत्येक 750 मिली लीटर की क्षमता की भारत में बनी विदेशी स्पिरिट की चौबीस बोतलें, प्रत्येक 750 मिली लीटर की क्षमता की भारतीय विदेशी मदिरा की बाहर बोतलें, प्रत्येक 650 मिली लीटर की क्षमता की बीयर की चौबीस बोतलें, प्रत्येक 750 मिली लीटर की क्षमता की रम की बारह बोतलें, प्रत्येक 750 मिली लीटर की वाईन की चौबीस बोतलें तथा प्रत्येक 750 मिलीलीटर की क्षमता की वोदका/जिन/साइडर की बारह बोतलें की सीमा तक सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा भारत में बनी विदेशी मदिरा के वास्तविक उपभोक्ता को आवेदन करने पर दिया जा सकता है।”।

अमित कुमार अग्रवाल,  
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,  
हरियाणा।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 29th March, 2019

**No. 37 /X-I/ P.A. 1/1914/Ss. 18, 34 and 59/2019.**— In exercise of the powers conferred by sections 18, 34 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), and with reference to the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 98/X-I/P.A. 1/1914/S.9/2018, dated the 31st October, 2018, I, Amit Kumar Agrawal, Excise Commissioner, Haryana, hereby make the following rules further to amend the Punjab Liquor Permit and Pass Rules, 1932, in their application to the State of Haryana, with effect from the 1st day of April, 2019, namely :-

1. These rules may be called the Punjab Liquor Permit and Pass (Haryana Amendment) Rules, 2019.

2. In the Punjab Liquor Permit and Pass Rules, 1932 (hereinafter called the said rules), in rule 2, in clause (a), for the existing second proviso, the following proviso shall be substituted, namely :-

“Provided further that the licensee shall pay permit fee for the purchase of liquor on the following rates :-

Serial Number	Type of Liquor	Rates
1.	Country Liquor (50 degree proof)	₹ 5 Per Proof Litre
2.	Country Liquor (65 degree proof)	₹ 5 Per Proof Litre
3.	Indian Made Foreign Spirit	
	3.1 Brands with Ex-Distillery Issue Price upto ₹1000 per case	₹ 10 Per Proof Litre
	3.2 Brands with Ex-Distillery Issue Price from ₹ 1001 upto 1500 per case	₹ 10 Per Proof Litre
	3.3 Brands with Ex-Distillery Issue Price from ₹ 1501 upto 2500 per case	₹ 10 Per Proof Litre
	3.4 Brands with Ex-Distillery Issue Price from ₹ 2501 upto 3500 per case	₹ 10 Per Proof Litre
	3.5 Brands with Ex-Distillery Issue Price from ₹ 3501 upto 5000 per case	₹ 10 Per Proof Litre
	3.6 Brands with Ex-Distillery Issue Price from ₹ 5001 upto 7000 per case	₹ 10 Per Proof Litre
	3.7 Brands with Ex-Distillery Issue Price Above ₹ 7000 per case	₹ 10 Per Proof Litre
4.	BEER	
	(i) Beer containing alcoholic content upto 5.5%	₹ 10 Per Bulk Litre
	(ii) Beer containing alcoholic content more than 5.5%	₹ 10 Per Bulk Litre
	Caned Beer:	₹ 10 Per Bulk Litre
	(i) Mild	
	(ii) Strong	₹ 10 Per Bulk Litre
5.	Ethanol for use in automobile Fuel	Nil
6.	Draught Beer	₹ 10 Per Bulk Litre
7.	Cider	₹ 5 Per Bulk Litre
8.	Wine	₹ 5 Per Bulk Litre
9.	Ready to Drink Beverages (RTB)	₹ 10 Per Bulk Litre
10.	Potable Rectified Spirit and Extra Neutral Alcohol for Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor	Nil
11.	Denatured spirit/Ethanol except for use in automobile fuel	Nil
12.	Rectified Spirit and Extra Neutral Alcohol for industrial use	Nil”.

3. In the said rules, in rule 22-A, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

“(1) A permit in form L-50 for purchase, transport and possession of more than twelve bottles of Indian Imported Liquor of the Capacity of 750 mililitres may, on application, be granted to bonafide consumer of Indian Made Foreign Liquor by Deputy Excise & Taxation Commissioner of the district concerned upto limit of twenty four bottles of Indian Made Foreign Spirit each of the capacity of 750 mililitres, twelve bottles of Indian foreign liquor each of the capacity of 750 mililitres, twenty four bottles of beer each of the capacity of 650 mililitres, twelve bottles of Rum each of the capacity of 750 mililitres, twenty four bottles of wine each of the capacity of 750 mililitres and twelve bottles of Vodka/Gin/Cider each of the capacity of 750 mililitres on payment of a license fee at the rate of Rs. 1500 per year, or for a life time, on payment of a license fee of Rs. 10,000.”

AMIT KUMAR AGRAWAL,  
Excise and Taxation Commissioner,  
Haryana.